पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994
पंचायत निगरानी संख्या : 36/2024 उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान व अन्य

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 36/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/42

प्रार्थी :–		अप्रार्थीगण :–
विकास अधिकारी पंचायत समिति, बाली	बनाम	1. सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान 2. धन्नाराम पुत्र भीकाजी जाति चौधरी निवासी कोटबालियान तह. बाली जिला पाली राज.

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, विरुद्ध ग्राम पंचायत कोटबालियान द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 12.11.2009 क्षेत्रफल 2700 वर्गफीट को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :– अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत जे. राठौड़ व अमजद अली सैयद उपस्थित

–:निर्णय:–

दिनांक: 25.07.2024

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली ने एक निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक सरपंच ग्राम पंचायत कोट बालियान द्वारा एक पट्टा अप्रार्थी संख्या दो श्री धनाराम पुत्र भीकाजी को राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) ख के तहत पट्टा संख्या 12 दिनांक 12 नवंबर 2009 को क्षेत्रफल 2700 वर्ग फीट का जारी किया जिसमें अनियमितता बरती गई उक्त पट्टा गैर मुमकिन वाला खसरा नंबर 762 रकबा 4.33 हेक्टेयर में जारी किया गया है उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका आवंटन नियमन अथवा पट्टा नहीं दिया जा सकता अतः पट्टा नियम विरुद्ध जारी होने से निरस्त योग्य है।

निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोट बालियान द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 की वैधता, शुद्धता एवं मौलिकता के संबंध में आवश्यक परीक्षण किया जाकर निरस्त फरमाया जावे। निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ एक जांच रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक बाली एवं पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति बाली के संयुक्त हस्ताक्षर से तैयार की गई थी, की प्रति प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या एक के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियम अनुसार सभी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए पट्टा जारी किया गया है अतः प्रार्थी की निगरानी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण पर अप्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई जिसमें उन्होंने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध निगरानी याचिका, सलग्न जांच रिपोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड, अप्रार्थी का जवाब एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गहनता से मनन किया। प्रस्तुत जांच रिपोर्ट जो भू अभिलेख निरीक्षक एवं पंचायत प्रसार अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 8 अप्रैल 2019 को तैयार की गई है से स्पष्ट है कि विचाराधीन पट्टा संख्या 12 की भूमि आबादी में स्थित न होकर गैर मुमकिन वाला की राजस्व भूमि है जिसके खसरा नंबर 762 है। प्रतिवेदन का बिंदु संख्या 5 अनुसार खसरा नंबर 762 गैर मुमकिन वाला की भूमि जो सरकारी खाते में दर्ज है उसके अंदर

अति. जिला कलक्टर
बाली (पाली)

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पंचायत निगरानी संख्या : 36/2024 उनवान : विकास अधिकारी प.स. बाली बनाम सरपंच ग्राम पंचायत कोटबालियान व अन्य

ग्राम पंचायत कोटबालियान द्वारा आवासीय पट्टा दिया गया है जो गलत है तथा खारिज योग्य है उक्त भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है जिसका आवंटन नियमन अथवा पट्टा नहीं दिया जा सकता। स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर राजस्व भूमि जो प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है में उपरोक्त पट्टा संख्या 12 अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया है जो निरस्त की योग्य है।

अतः प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम पंचायत कोट बालियान द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 12 नवंबर 2009 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । पालना हेतु संबंधित को लिखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत का मूल रिकॉर्ड वापस लौटाया जावे। निर्णय सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बाली, जिला-पाली